


रीडर

10/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष उपर/ वकील उमय पक्ष ने अपने 7.2 गां पत्र को संबंध बरस की गई। बरस वकील उमय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमावड़ी शर्त 2064-67 वाले ग्राम रिवाली तहसील बामनवास के अनुसार विभागीय ख.नं. 1921 रकबा 0.06 हेक्टर साथल/ गैर साथल की सट शर्तदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसके कारण उक्त रिकार्ड ख.नं. में बने चाल से यिलाई हेतु पानी लेने बाधत उमय पक्ष को →

जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से पावद किया जाता  
 न्याय उचित नहीं समझता हूँ। जिसके कारण  
 साधल द्वारा प्रस्तुत ग.इ शर्तिका पत्र स्वरीज  
 योग्य है। अतः साधल द्वारा प्रस्तुत शर्तिका  
 पत्र जारि अस्थाई निषेधाज्ञा स्वरीज किया  
 जाता है। पत्रावली केसल श्रुत होकर  
 बाद लक्ष्मील कपूर दारिबल की जावे।  
 मूल ग.इ की पत्रावली आवे की पत्रावली  
 के साथ सलंगन की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 10-10-19 को  
 श्रुते न्यायालय में सुनाया गया।

  
 उप जिला कलक्टर  
 बामनवास (जिला--स०सा०)

